डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी पीठासीन अधिकारी **श्रीमति निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)**

वाद संख्या 203/2013 **निर्णय दिनांक** 12.06.18

1. रामसहाय पुत्र काल्या उर्फ कालू मृतक (दौराने वाद)
1/1. मन्नी देवी धर्मपत्नि स्व0 श्री रामसहाय
1/2. महेश पुत्र स्व0 श्री रामसहाय
1/3. मन्जू देवी पुत्री स्व0 रामसहाय
1/4. मनोजी देवी पुत्री स्व0 रामसहाय
1/5. सुनिता देवी पुत्री स्व0 रामसहाय
1/6. माया उर्फ बबली पुत्री स्व0 रामसहाय
2. बन्सी | पुत्रान स्व0 रामदेव
3. महेन्द्र |
4. दीपू |
5. राजू |
6. केशरी पत्नि स्व0 रामदेव
जाति कुम्हार निवासी ग्राम लक्ष्मीनारायण तह0 आमेर जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र प्रताप जाति कुम्हार
निवासी लक्ष्मीनारायणपुरा तह0 आमेर जिला जयपुर।
2. प्रेमलता देवी पत्नि मक्खनलाल जाति महाजन
निवासी 91, जगदम्बा कॉलोनी ढेहर का बालाजी जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर
4. उप पंजीयक आमेर तह0 आमेर जिला जयपुर।
5. रोशनलाल पुत्र सेडूराम जाति बागडा
निवासी ग्राम श्रीपुरा तह0 आमेर जिला जयपुर

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, गवाहो के बयानात व बहस के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण को ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी ख0 नं0 558, 559, 673 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण के अंकन को निरस्त करते हुए आदेशानुसार नवीन अंकन वादीगण के नाम करने के आदेश दिए जाते है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक व कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करें।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	6 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	2 रूपये		मुतफरित		
मौजान			मौजान		

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)

वाद संख्या 203/2013 **निर्णय दिनांकः** 12.06.18

1.रामसहाय पुत्र काल्या उर्फ कालू मृतक (दौराने वाद)
1/1. मन्नी देवी धर्मपत्नि स्व0 श्री रामसहाय
1/2. महेश पुत्र स्व0 श्री रामसहाय
1/3. मन्जू देवी पुत्री स्व0 रामसहाय
1/4. मनोजी देवी पुत्री स्व0 रामसहाय
1/5. सुनिता देवी पुत्री स्व0 रामसहाय
1/6. माया उर्फ बबली पुत्री स्व0 रामसहाय
2. बन्सी | पुत्रान स्व0 रामदेव
3. महेन्द्र |
4. दीपू |
5. राजू |
6. केशरी पत्नि स्व0 रामदेव

जाति कुम्हार निवासी ग्राम लक्ष्मीनारायण तह0 आमेर जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र प्रताप जाति कुम्हार
निवासी लक्ष्मीनारायणपुरा तह0 आमेर जिला जयपुर।
2. प्रेमलता देवी पत्नि मक्खनलाल जाति महाजन
निवासी 91, जगदम्बा कॉलोनी ढेहर का बालाजी जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर
4. उप पंजीयक आमेर तह0 आमेर जिला जयपुर।
5. रोशनलाल पुत्र सेडूराम जाति बागडा
निवासी ग्राम श्रीपुरा तह0 आमेर जिला जयपुर

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया है कि वाके ग्राम लक्ष्मीनारायणपुर ग्राम पंचायत अखैपुरा तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित राजस्व खाता सं0 125 की भूमि ख0 न0 558, 559, 673 रकबा 0.14 है0 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 के सन्दर्भ में हस्तगत वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा वर्णित किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि वादीगण की वर्णित किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक कब्जाकाश्त की कृषि भूमि है। जिसके गत भू–प्रबन्ध खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2023 के ख0 न0 351 (10 बिस्वा), 354 (4 बिस्वा), 360 (11 बिस्वा) कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा के खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता/दादा काल्या उर्फ कालू थे। वर्तमान भू–प्रबन्ध में उक्त खसरा नम्बरान 351, 354, 360 के नवीन खसरा नं0 558, 559, 673 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 बने है। उक्त वर्णित आराजीयात पर वादीगण के पिता/दादा जमाने जागीर से तथा राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व से खातेदार काश्तकार काबिज रहे है। तथा वर्तमान में भी वादीगण उक्त आराजी वादग्रस्त पर काबिज है तथा लगान सरकार को अदा करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात की खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2019 व सम्वत 2030 से 2033 तक में वादीगण के पिता व दादा का नाम बहैसियत दर्ज रहा है व वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण विवादित भूमि पर काश्त करते आ रहे है। परन्तु बनूवक्त बन्दोबस्त कार्यवाही में प्रतिवादी सं0 एक दुर्गालाल के पिता प्रताप पुत्र मांगू ने राजस्व कर्मचारियों से साठ गांठ कर भूमि वादग्रस्त का खातेदारी ईन्द्राज अपने नाम करा लिया जबकि वादीगण के पिता व दादा पूर्व से ही वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। तथा कब्जाकाश्त भी पूर्व से ही वादीगण के पिता का तथा वर्तमान में वादीगण का चला आ रहा है। परन्तु फिर भी वादीगण के कब्जेकाश्त व पुश्तैनी भूमि को तह0 के (कारकानूनों) कर्मचारियों ने गलत अंकन का प्रमाणित कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया है। जिसे

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

रिकॉर्ड में दुरूस्त कराने व घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है। अपने नाम हुए उक्त गलत रूप से इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 को खसरा नं0 673 रकबा 0.14 है0 का बेचान कर दिया है। जबकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त निर्विवाद रूप से वादीगण का चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 का प्रतिवादी सं0 2 को किया गया उक्त बेचान वादीगण बिना किसी का कब्जा दिए किया गया है जो कि वादीगण के हितो के प्रति प्रभावशून्य है। जबकि उक्त वर्णित आराजीयात पर पूर्व से ही तथा वर्तमान में भी वादीगण व उनके पूर्वजन काबिज रहे है। प्रतिवादी का विवादित आराजी से कभी कोई वास्ता नही रहा है। उक्त दुरूस्ती का वादीगण को पूर्ण अधिकार है जिसके बाबत वादीगण ने प्रतिवादी से अनेको बार विवादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने हेतु निवेदन किया परन्तु तब हमेशा आश्वासन देते रहने के पश्चात दिनांक 25.08.2006 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा कुछ भूमि का विक्रय कर दिया गया तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने की धमकी दी गई। जिससे उक्त दिनांक को वादकारण उत्पन्न होकर वादीगण को घोषणा के साथ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ0 ख0 न0 558 रकबा 0.05 है, ख0 न0 559 रकबा 0.13 है0, ख0 न0 673 रकबा 0.14 है0 का कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादीगण के नाम का अंकन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादीगण के हक व कब्जाकाश्त में मजाहमत व मदाखलत ना करे।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में निम्न साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किए है–

(1) सत्यापित प्रति मिसल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008–2023 (प्रदर्श–01)

(2) सत्यापित प्रति मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–02)

(3) सत्यापित प्रति जमाबन्दी गत खसरा सम्वत 2016 (प्रदर्श–03)

(4) सत्यापित प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत 2008–2019, सम्वत 2030–2033 (प्रदर्श–04)

(5) सत्यापित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 (प्रदर्श–05)

वादपत्र में वर्णित तथ्यों के खण्डन के रूप में जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं0 1 ने वर्णित किया है कि वादग्रस्त आराजी पर काबिज मिन जवाब दावा (प्रतिवादी सं0 1) अपने पिता के जीवन काल से ही रहता आ रहा है एवं लगान सरकार को अदा किया है तथा प्रतिवादी सं0 1 के पिता के नाम पूर्व से खातेदारी में अंकन रहा है एवं काबिज रहकर काश्त करते आ रहे थे जिनकी मृत्यु के पश्चात मिन जवाब दावा प्रतिवादी सं0 1 निरन्तर काबिज रहकर काश्त करता रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा मिन जवाबदावा का है तथा प्रतिवादी सं0 2 को किया गया बेचान वैधानिक अधिकार होने के फलस्वरूप किया जाकर विधिवत कब्जा केता का कराया गया है। इसके अतिरिक्त खातेदारी अधिकार परिवर्तन के अधिकार राजस्व अधिनियमों तहत अधिकृत किया जाने पर तहसीलदार को प्राप्त है। वादीगण ने दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी द्वारा आश्वासन देने सम्बन्धी तथ्य भी गलत अंकित किए है जबकि मिन जवाब दावा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा कोई आश्वासन वादीगण को नही दिया गया जबकि भूमि तो पूर्व से ही मिन प्रतिवादी पूर्वजो के नाम चली आ रही है। वाद कारण तथा वाद कारण दिनांक भी वादीगण ने गलत रूप से अंकित की है क्योंकि अंकित वाद कारण दिनांक 25.08.2006 से लगायत 01 वर्ष पूर्व ही मिन प्रतिवादी द्वारा भूमि प्रतिवादी– 2 को दिनांक 24.09.2005 को बेचान कर दी गई थी एवं कब्जा दे दिया गया था ऐसी स्थिति में आश्वासन देने अथवा वाद कारण का तथ्य मिथ्या तौर पर अंकित किया गया है। वादीगण का जब उक्त भूमि पर कोई अधिकार, कब्जा व सरोकार नही है तो मदाखत या मजाहमत का कोई औचित्य ही नही है। इस प्रकार वर्णित भूमि ना होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी को भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः उक्त आधारों पर वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी ने अपने जवाब वादपत्र के कथनों के समर्थन/सन्दर्भ में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किए है–

(1) जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 (प्रदर्श D–1)

(2) खसरा गिरदावरी सम्वत 2059–2062

(3) सत्यापित प्रतिलिपि नामान्तरण संख्या 01 दिनांक 09.07.1961 (प्रदर्श D–2)

(4) जमाबन्दी सम्वत 2024–2027 (प्रदर्श D–3)

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक भूमि है। जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना अधिकार के चेंज कर दिया। वादीगण अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

–वादी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

2. आया विवादित भूमि बेचान वादीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध प्रभावशून्य नलेटी है।

—वादी

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

—वादी

4. आया वादीगण का वाद सक्षम न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र निरस्त कराये बिना चलने योग्य नही है।

—प्रतिवादी

5. आया प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जाकाश्त नही हुआ है।

—प्रतिवादी

6. आया वाद अधीन आराजी प्रतिवादी सं0 1 बहैसियत खातेदार काश्तकार बजमाना बुर्जमान काबिजकाश्त है। वादी का वाद अधीन आराजी से कोई सरोकार नही है।

—प्रतिवादी

7. आया वाद अधीन आराजी वर्तमान भू प्रबन्ध से पूर्व ही प्रतिवादी नं0 1 के पिता की खातेदारी की आराजी रही है।

—प्रतिवादी

8. अनुतोष ?

कायम तनकीयात के कम में वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र– स्वयं वादी संख्या 05 राजु उर्फ राजेन्द्र जाति कुम्हार (PW-01), वादी संख्या 01 रामसहाय पुत्र स्व. काल्या उर्फ कालू जाति कुम्हार (PW-02), तथा स्वतंत्र गवाह कन्हैयालाल पुत्र स्व. सुवालाल जाति कुमावत व गेन्दीलाल पुत्र स्व. सुजाराम के तथा प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र दुर्गालाल पुत्र प्रताप जाति कुम्हार का प्रस्तुत किया गया। जिनसे पक्षकारान जिरह की कार्यवाही तदनुसार अधिवक्तागण द्वारा की गई तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। जिसके कम में अधिवक्तागण उभ्यपक्षकारान द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी लिखित बहस में वर्णित किया है कि प्रतिवादी सं. 01 के पिता प्रताप पुत्र मांगू ने साजिश पूर्वक भूमि वादग्रस्त की खातेदारी का गलत इन्द्राज कराकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा लिया जो बिना किसी प्राधिकार के की गई कार्यवाही है जो वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतौनी बन्दौबस्त सम्वत 2008–2023 पेश की है। जिसमें वादी के पिता काल्या उर्फ कालू पुत्र छोटू बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–2019 व 2030–2033 जिसमें काश्त के कॉलम में वादीगण के पिता व दादा काल्या उर्फ कालू पुत्र छोटू बहैसियत कृषक दर्ज है। वादीगण के वादपत्र का प्रतिवादीगण सं. 02, 05 द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही कोई साक्ष्य व साक्षी पेश किया तथा ना ही किसी प्रकार से दावे के बचाव में कोई प्ली ही ली गई है। मात्र प्रतिवादी सं. 01 जो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। उसमें किसी भी तथ्य को विनिर्दिष्टतः इनकार नही किया गया है वादीगण द्वारा वादपत्र में अपने दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य पेश किये गये । वादीगण की ओर से मौखिक साक्षी राजू उर्फ राजेन्द्र व रामसहाय पुत्र काल्या तथा दो स्वतंत्र गवाहों गेंदीलाल पुत्र सूजाराम व कन्हैयालाल पुत्र सूजाराम के बयानात करवाये गये है। जिन्होने अपने बयानों में भी वादीगण के कब्जेकाश्त की पुष्टि की है एवं वादीगण के वादपत्र का समर्थन किया है तथा अपने बयानात में कहा है कि काल्या उर्फ कालू पुत्र छोटू के दोनो हाथों के अंगूठे थे ही नही। जिससे किसी भी दस्तावेज पर अंगूठा निशानी होने का प्रश्न ही नही होता। उक्त बयानों के खण्डन हेतु प्रतिवादीगण ने किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान नही करवाये है। जिससे प्रतिवादीगण का बिना किसी आधार के वाद का विरोध करना स्पष्ट होता है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008–2023 से वादीगण के पिता व दादा का भूमि वादग्रस्त पर प्रारम्भ से कब्जाकाश्त साबित होता है तथा जमाबन्दी सम्वत 2016–2019 जो कि प्रथम जमाबन्दी है से वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी का अंकन स्पष्ट सिद्ध होता है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2008–2033 से भी वादीगण के पूर्वजों का कब्जाकाश्त सिद्ध होता है। इनके अतिरिक्त प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अलग–अलग तथा विरोधाभासी आधारो पर विवादग्रस्त भूमि का मालिक होना बताया है। जिसके अन्तर्गत– (1) अपने जवाब दावे में कथन किया गया कि वादीगण के पूर्वज काल्या उर्फ कालू पुत्र छोटू का कभी भी कब्जाकाश्त व अधिकार नही रहा तथा भूमि वादग्रस्त प्रतिवादी सं0 1 के पिता प्रताप पुत्र मांगू के कब्जेकाश्त में रही है। (2) बयान में कहा कि प्रतिवादी के पिता ने वादीगण के पिता व दादा काल्या उर्फ कालू पुत्र छोटू से 200/– चांदी के रूपयों में कय की थी। (3) लिखित बहस में कहा है कि वादीगण के उक्त पूर्वजों ने प्रतिवादी के पिता प्रताप पुत्र मांगू के पक्ष में बक्शीश कर दी थी। इस प्रकार दूसरे व तीसरे कथन से स्वतः ही स्वीकृति है कि उक्त भूमि वादीगण के पिता व दादा काल्या उर्फ कालू पुत्र छोटू के हक व

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जामेर टु. जयपुर

अधिकार की भूमि रही है तथा उक्त तीनों विरोधाभासी कथनों से ही साबित है कि विवादग्रस्त भूमि कभी भी प्रतिवादीगण की नही रही है। जबकि अपने उक्त तीनों विरोधाभासी कथनों के सन्दर्भ में कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य यथा रजिस्टर विक्रय पत्र अथवा बक्शीशनामा कोर्ट में प्रस्तुत नही किया गया है। इसके अतिरिक्त बयान में स्वयं प्रतिवादी सं0 1 ने बक्शीश होने के तथ्य से इनकार भी किया है। यदि उक्त बक्शीशनामा मान भी लिया जावें तो भी स्थावर सम्पति का दान चाहे वह 1 रूपये का हो या अधिक का, लिखित और रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा ही किया जाता है जबकि प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे बक्शीश का तथ्य सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त क्रयशुदा होने के सन्दर्भ में भी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 एवं सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अन्तर्गत 100 रूपयें या उससे अधिक राशि में क्रय की गई स्थावार सम्पति का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है अन्यथा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 के अनुसार गैर पंजीकृत दस्तावेज से कोई भी अधिकार उत्पन्न नही होता है। इस क्रम में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। जहां तक बेचान का प्रश्न है तो यदि न्यायालय के समक्ष कोई मामला विचाराधीन हो और उस दौरान सम्पति का अन्तरण किया जाता है तो सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार ऐसा अन्तरण प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य होता है अवैध खातेदारी प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने अन्य प्रतिवादीगण को भूमि का अवैध स्थानान्तरण किया है जिसका कानूनी रूप से कोई महत्व नही है। इसलिए प्रतिवादी सं0 2 व 5 का भी भूमि पर कोई हक व अधिकार विधिक प्रावधानों के अनुसार नही बनता है। जबकि इस प्रमाण में तो मात्र सरपंच द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के पिता से साझकर नामान्तकरण खोल दिया तथा वादीगण के पिता व दादा के अधिकारों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के मात्र पटवारी रिपोर्ट पर समाप्त कर दिया। उक्त दस्तावेज प्रदर्श D-2 का कानूनी रूप से कोई महत्व नही है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने स्वयं अपने बयानों में भी बक्शीश होने से इनकार किया है। अतः उपरोक्त कानूनी प्रावधानों एवं विधिक दृष्टांन्तों के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नं0 558 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 559 रकबा 0.13 है0 व खसरा नं0 673 रकबा 0.14 है0 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर वर्णित किया है कि वादीगण के दादा काल्या पुत्र छोटू ने प्रतिवादी सं0 1 के पिता प्रताप पुत्र मागूं के हक में अपनी रजामन्दी से उक्त आराजी को बक्शीश कर दी थी। जिसका नामान्तकरण सं0 1 दिनांक 09.07.1961 को स्वीकार हुआ एवं रजामंदी सहमति के अगूंठा के निशान नामान्तकरण पर काल्या के है। इस प्रकार उक्त आराजी सन 1961 से प्रतिवादी के पिता के नाम खातेदारी में चली आ रही है। काल्या पुत्र छोटू व वादी के पिता रामदेव पुत्र काल्या ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी नही की। प्रतिवादी के पिता प्रताप पुत्र मांगू अपने जीवन काल में उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्त करते रहे है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी उक्त आराजी पर कब्जेकाश्त में है। वादीगण के पिता व दादा के हक व अधिकार सन 1961 में ही समाप्त हो गये थे। इसलिये वादीगण का वाद निराधार होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 दुर्गालाल उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के फलस्वरूप जिसे दिनांक 03.08.2016 को अपने स्वयं की खातेदारी भूमि आराजी कृषि भूमि के खसरा नं0 558 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 559 रकबा 0.13 है0 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 का बैचान प्रतिवादी सं0 6 को कर दिया। जिसका बैचान करने का अधिकार प्रतिवादी को है। प्रतिवादी सं0 1 खातेदार काश्तकार की हैसियत से उक्त भूमि के पावर एण्ड पजेशन में रहते हुये उक्त आराजी का कुछ भू भाग नेशनल हाइवे में चले जाने पर जिसका मुआवजा प्रतिवादी सं0 1 ने ही प्राप्त किया है। उक्त मुआवजा के सम्बन्ध में वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐतराज/आपत्ति नही है। दिनांक 05.04.1960 को रास्ते के सम्बन्ध में एक लिखावट लिखी गई थी जिस पर वादी के पिता काल्या उर्फ कल्याण के अगूंठा निशानी है एवं इकरारनामा पर समस्त बस्ती व पंच लक्ष्मीनारायणपुरा लिखित दिनांक 13.06.74 पर कल्याण का अगूंठा निशानी है। वादीगण का यह कथन मिथ्या व बनावटी है कि काल्या उर्फ कल्याण के अगूंठे कटे हुये थे। काल्या उर्फ कल्याण स्वस्थ था दोनो हाथो के अगूंठे मौजूद थे जो प्रमाण स्वरूप लिखित बहस के साथ फोटो कॉपी भी प्रस्तुत है। ग्राम लक्ष्मीनारायणपुर तह0 आमेर जिला जयपुर के गत ख0 न0 360 रकबा 11 बिस्वा, ख0 न0 351 रकबा 10 बिस्वा, ख0 न0 354 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा पर वादी के पिता प्रताप पुत्र मांगू की खातेदारी वर्तमान बन्दोबस्त से पूर्व से ही रही है। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी का कब्जाकाश्त उक्त भूमि पर निरन्तर चला आ रहा है तथा वर्तमान बन्दोबस्त में उक्त आराजी खसरा नं0 559 रकबा 0.13 है चाही, ख0 न0 673 रकबा 0.14 है0 बारानी व ख0 न0 558 रकबा 0.05 है0 जाव 0.01 है0 चाही के 0.04 बनाये गये है। जो प्रतिवादी के खातेदारी के ख0 न0 है ओर प्रतिवादी सं0 1 उक्त नम्बरों पर निरन्तर काबिज रहा है। इनमें से ख0 न0 673 रकबा 0.14 है0 का

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर जु., जयपुर

बेचान प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा प्रतिवादी सं0 2 को कर दिया गया जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2059 लगायत 2062 में अमल हो चुका है। जो दावे में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श D-1 है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1द्वारा जो बैचान जो प्रतिवादी संख्या 2 को किया गया था जो वैधानिक अधिकार निहित होने के फलस्वरूप ही विधिवत बैचान किया जाकर कब्जा केता प्रतिवादी सं. 2 को करा दिया गया था। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आगे कथन किया गया वादी द्वारा जो वाद पत्र के मद सं. 10 में उक्त रिकार्ड को दुरस्त करवाने के लिए जो तथ्य अकित किए है वे सर्वथा गलत है जबकी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। क्योकि वादग्रस्त आराजी पूर्व से ही प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में रही है। तथा खसरा नं. 673 रकबा 0.14 है. का पूर्व में ही बैचान किया जाकर कब्जा केतागण को सम्बला दिया गया था । इसी प्रकार वादीगण को कभी वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए मिथ्या कथनों के आधार पर वादीगण द्वारा जो वादकारण दिनांक 25.08.2006 अंकित किया है। वह प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वादीगण कि खातेदारी साबित होती हो जबकि उक्त विवादित भूमि का रिकार्डेड काश्तकार पूर्व से ही जमाबन्दी सम्वत 2024–2027 में अंकन अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के पिता प्रताप पुत्र मांगू रहे है। तथा जमाबन्दी सम्वत 2016–2019 में प्रतिवादी के पिता उपकृषक रहे है। तनकी सं. 1 के सन्दर्भ में प्रतिवादी सं. 1 ने कथन किया है कि वर्तमान भूप्रबंध से पूर्व नामांतरण सं. 1 हस्व रिकार्ड पटवारी व गिरदावर काल्या वल्द छोटू कोम कुम्हार ने अपने खातेदारी कि जमीन प्रताप वल्द मांगू कोम कुम्हार को बख्शीश कर दी व सहमति अंगुठा निशानी काल्या के आधार पर दिनांक 09.07.1961 प्रमाणित किया गया जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत खाता सं. 27 उक्त नामांतरण 27 वर्ष पूर्व का है जिसका सत्यता वैधानिक आधार पर स्वतः प्रमाणित है। भूमि खातेदार काल्या पुत्र छोटू की स्वयं अर्जित आराजी थी उसको विक्रय करने का पूर्ण अधिकार थे तथा अपनी रजामंदी उक्त हस्तांतरण किया है जिससे खातेदार काल्या पुत्र छोटू उक्त विवादीत आराजी पर दिनांक 09.07.1961 से अधिकार समाप्त होकर प्रतिवादी सं. 1 के पिता प्रताप पुत्र मांगू में निहीत हो गए इस प्रकार वादी उक्त घोषणा व दुरस्ती करवाने का अधिकारी नहीं है ना ही भूमि पैतृक आराजी ही रही है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2017–2019 के कॉलम सं. 6 में काल्या खातेदार में अंकन के साथ प्रताप पुत्र मांगू का नाम बतोर उपकृषक गत खसरा नं. 351, 354 व 360 में अंकित है। इससे स्पष्ट है कि काल्या द्वारा बख्शीश की जाने से पूर्व में ही प्रतिवादी सं. के पिता खातेदार काश्तकार रहे है। जो सम्वत 2020 से बहैसीयत खातेदार काश्तकार अपनी मृत्यू पर्यन्त रहे है। इसके पश्चात प्रतिवादी सं. 1 वर्तमान में बहैसियत खातेदार काश्तकार रहे है। उक्त विवेचन राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी व नामान्तरण के आधार पर करने से भी उक्त तनकी सं. 1 प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित है। साथ ही वादीगण के कथनानुसार काल्या की मृत्यु 1996–97 मे हुई है इससे स्पष्ट है कि काल्या पुत्र छोटू द्वारा उक्त खातेदारी परिवर्तन को अपने जीवनकाल में चैलेंज नही किया। ना ही रामदेव पुत्र छोटू ने अपने जीवनकाल में चैलेंज किया। वादीगण ने 57 वर्ष पश्चात ऐतराज बदनीयति के आधार पर किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी सं0 2 के सन्दर्भ में प्रतिवादी सं0 1 का कथन है कि मूल रूप से स्वअर्जित आराजी के खातेदार काल्या पुत्र छोटू द्वारा दिनांक 09.07.61 को अपना हक व अधिकार प्रतिवादी सं0 1 के पिता को हस्तान्तरित कर दिया था। जिसका अमल सम्वत 2020 की जमाबन्दी खाता सं0 27 में हो चुका है। ऐसी अवस्था में वादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही रह जाता है और ना ही उक्त आराजी पैतृक आराजी रही है। चूंकि मूल खातेदार द्वारा हस्तान्तरण करने के पश्चात कोई अधिकार शेष नही रह जाते है। ऐसी अवस्था में 57 वर्ष बहैसियत खातेदार काश्तकार द्वारा बेचान सदभावी है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर किया गया बेचान राजस्व जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 में अमल हो चुका है। ऐसी अवस्था में तनकी सं0 2 विरूद्ध प्रमाणित है। तनकी सं0 3 के सन्दर्भ में प्रतिवादी सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में वर्णित किया है कि तनकी सं0 1 व 2 के विवेचन के आधार पर तनकी सं0 3 का कोई औचित्य नही रह जाता है। ऐसी अवस्था में तनकी सं0 3 विरूद्ध वादीगण प्रमाणित है। विवादित आराजी ख0 न0 360 रकबा 10 बिस्वा पर काबिज प्रतिवादी सं0 1 के दादा मांगू का कब्जा सम्वत 2008 व 2009 में रहा है। तत्पश्चात सम्वत 2010 से लगातार प्रतिवादी सं0 1 के पिता प्रताप पुत्र मांगू का कब्जा रहा है उसकी मृत्यु के पश्चात बहैसियत खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं0 1 रहा है। गत ख0 न0 351 व 354 पर प्रतिवादी सं0 1 के पिता प्रताप पुत्र मांगू सम्वत 2016 से 2019 तक उपकृषक रहे है। सम्वत 2020 से निरन्तर प्रतिवादी सं0 1 के पिता ख0 न0 351, 354 व 360 के बहैसियत खातेदार काश्तकार इनपजेशन है। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं0 1 बहैसियत खातेदार काबिज है। वादीगण का कब्जा विवादित आराजी पर नही रहा है। तनकी सं0 4 के सन्दर्भ में प्रतिवादी सं0 1 के अधिवक्ता का कथन है कि तनकी सं0 1 लगायत 3 के विवेचन के आधार पर प्रमाणित है कि वादीगण वाद लाने के अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में वाद चलने योग्य नही है। क्योंकि खातेदार द्वारा किया गया बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा किया जाता है तो केता को

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर जु., जयपुर

जो अधिकार प्राप्त हुए है वह विक्रय पत्र के आधार पर हुये है। जो कि विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये जाने पर ही समाप्त हो सकते है। ऐसी अवस्था में तनकी सं0 4 प्रतिवादीगण के हक में प्रमाणित है। तनकी सं0 5 के सन्दर्भ में प्रतिवादी सं0 1 का कथन है कि यह तनकी पूर्व में किये गये विवेचन व नकल खसरा गिरदावरी तथा जमाबन्दी सम्वत 2016 व जमाबन्दी सम्वत 2024 लगायत 2027 से भलीभाति प्रमाणित है कि कब्जाकाश्त वादीगण का नही रहा है। तनकी सं0 6 के क्रम में अपनी लिखित बहस में प्रतिवादी सं0 1 ने वर्णित किया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रिकार्ड नकल नामान्तकरण सं0 1 दिनांक 09.07.61, खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 व 2019 नकल जमाबन्दी सम्वत 2016 व नकल जमाबन्दी सम्वत 2020 लगायत 2024, जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 से स्पष्ट है कि वादअधीन आराजी पर प्रतिवादी सं0 1 बहैसियत खातेदार काश्तकार बजमाने बुजूर्गान से रहा है। तनकी सं0 7 के क्रम में कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी सम्वत 2024–2029 जो भूप्रबन्ध से पूर्व का रिकार्ड है में प्रतिवादी सं0 1 के पिता प्रताप पुत्र मांगू की खातेदारी है। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं0 1 खातेदार काश्तकार रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा यह भी वर्णित किया गया है कि स्वअर्जित आराजी के खातेदार द्वारा किया गया हस्तान्तरण वैद्य है तथा पश्चाववृति वादपत्र उक्त हस्तान्तरण से बाधित है। प्रस्तुत प्रकरण में सन 1961 में स्वअर्जित आराजी के खातेदार द्वारा हस्तान्तरण करने के पश्चात पश्चातवृति का कोई हक व अधिकार शेष नही रह जाता है। दावा 45 वर्ष पश्चात किया गया है। साक्ष्य अधिनियम प्रावधानों के अनुसार 30 वर्ष से पूर्व के दस्तावेज राजस्व रिकार्ड की सत्यता पर कोई ऐतराज समाहत नही है। ऐसी अवस्था में 56 वर्ष पश्चात विधि के अनुसार प्राप्त आराजी पर खातेदार काश्तकार के अधिकारों को चैलेंज नही किया जा सकता है।क्योंकि हस्तान्तरणकर्ता ने सन 1961 में हस्तान्तरण करने के पश्चात 1996–97 में अपनी मृत्यु तक अपने जीवनकाल में उक्त हस्तान्तरण को चैलेंज नही किया। ऐसी अवस्था में वादीगण उक्त वाद को चैलेंज करने से स्टोप्ड है अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि वादीगण स्वयं को काल्या के पुत्र तो बताते है लेकिन उनके नाम पर कभी खातेदारी नही लगी। मिन प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.09.05 ख0 न0 673 रकबा 0.14 है0 प्रतिवादी सं0 1 से तय की गई है। जिसका नामान्तकरण केता प्रतिवादी सं0 2 के नाम खुल गया। दिनांक 17.02.2014 द्वारा ख0 न0 673 की कुछ भूमि NHAI द्वारा अधिगृहित की गई थी। जिसकी अवाप्त राशि जमाबन्दी के आधार पर प्रतिवादी सं0 2 को प्राप्त हुई है। वादीगण द्वारा उक्त तथ्य को छिपाते हुए दावा पेश कर दिया गया है। जबकि वादीगण के नाम से इन आराजीयात बाबत कभी जमाबन्दी नही खुली गई है ना ही उन्होने इसके लिये कभी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि नामान्तकरण सं0 1 दिनांक 09.07.61 द्वारा वादीगण के पिता की सहमति से प्रतिवादी सं0 के पिता प्रताप पुत्र मांगू के हक में नामन्तकरण खोल दिया गया तब से लगभग 50 वर्षो से जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं0 1 के नाम चला आ रहा है। जबकि वादीगण द्वारा इन 50 वर्षों में कभी कोई प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया तथा उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई जिसके पश्चात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा ख0 न0 673 प्रतिवादी सं0 2 के नाम नामान्तकरण कर जमाबन्दी में अंकन दर्ज हुआ है तथा बाद में ख0 न0 673 की 14 बिस्वा भूमि NHAI द्वारा अधिगृहित कर ली गई तथा NHAI के नाम नामान्तकरण कर दी गई। वादी ने NHAI को जानबुझकर पक्षकार नही बनाया तथा तथ्य न्यायालय से छिपाया गया क्योंकि प्रतिवादी सं01 ने भूमि प्रतिवादी सं0 2 को विक्रय कर दी थी। NHAI द्वारा ख0 न0 673 की कुछ भूमि का अधिग्रहण करने के पश्चात इस खसरे की कुछ भूमि NHAI के पास है। इस कारण NHAI आवश्यक पक्षकार है क्योंकि वे रिकार्डेड खातेदार है। अपनी लिखित बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2 ने आगे वर्णित किया है कि अगर किसी राजस्व अधिकारी ने गलत आदेश दिया या लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर ने गलत नामान्तकरण खोल दिया है तो लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 75 में उसकी अपील का प्रावधान है। इस बाबत वादीगण द्वारा कोई कार्यवाही पूर्व में नही की गई तथा न्यायालय की प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया है।वादीगण को जानकारी होने के बाद भी उन्होने नामान्तकरण दिनांक 09.07.1961 जो कि प्रतिवादी सं0 1 के पिता प्रताप के नाम खोला गया नामान्तकरण है, को कोई चुनौती नही दी गई ना ही उसे निरस्त कराने की कोई प्रार्थना की गई है और इस नामान्तकरण के बाद प्रतिवादी सं0 1 के नाम हुये नामान्तकरण व उसके बाद प्रतिवादी सं0 2 के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हुये नामान्तकरण एवं उसके भी पश्चात NHAI के नाम अधिग्रहण के क्रम में नाम हुऐ नामान्तकरणों को निरस्त घोषित नही होने तक वादीगण को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है साथ ही प्रतिवादी सं0 2 ने प्रतिवादी सं0 1 से जो कि भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और जिसका पिता 50 वर्षो से रिकार्डेड खातेदार है। इस खातेदारी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई ऐतराज नही उठाया गया है और ड्यू डिलीजेन्स के बाद भी उसके रिकार्ड में कोई प्रथम दृष्टया गलती नही है। प्रतिवादी सं0 2 एक बोनाफाइड प्रचेसर है। जिस कारण से वह अपने अधिकारो बाबत अनुतोष पाने के अधिकारी है। भूमि का अन्तरण इस प्रकार से हो चुका है और भूमि सरकार के पास चली गई है तो इस दावे के चलने का कोई औचित्य नही है। प्रतिवादी सं0

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर जु., जयपुर

1 के पिता के नाम 50 वर्ष पूर्व हुये उक्त नामान्तकरण की कोई अपील भी नही की गई है। वादीगण का ना तो राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है ना उनके नाम कोई रेवेन्यू जमा कराने की पर्ची जारी हुई है और ना उनके द्वारा कोई लगान जमा कराया गया है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की लिखित बहस का अवलोकन किया व तथ्यों पर मनन किया जिसके क्रम में प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है–

तनकी सं0 1– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है जिसके क्रम में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य खतौनी बन्दोबस्त सम्वंत 2008–2023 (प्रदर्श 1), जमाबन्दी सम्वंत 2016–2019 प्रदर्श 3 व खसरा गिरदावरी सम्वंत 2008–2033 (प्रदर्श 4) से सिद्ध होता है कि भूमि वादग्रस्त वादीगण के पूर्वजों के नाम रिकार्ड में अंकित रही है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण के दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तकरण सं0 1 दिनांक 09.07.61 (प्रदर्श D-2) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तकरण में अंकित अनुसार बक्शीशनामे के आधार भूमि का इन्द्राज प्रतिवादी सं0 1 के पिता के नाम परिवर्तित हुआ है जबकि उक्त बक्शीशनामा (पंजीकृत/अपंजीकृत) पत्रावली में प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविकता में तथा प्रावधानों के अनुसार बक्शीशनामा पंजीकृत होने के पश्चात उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जबकि स्वयं प्रतिवादी सं0 1 ने अपने बयानों में बक्शीश होने के तथ्य से इनकार किया है तथा भूमि का 200/– चांदी के रूपयों में क्रय होना बताया है। इसके अतिरिक्त वादीगण के गवाहो ने अपने बयानो में कथन किया है कि बक्शीशकर्ता काल्या उर्फ कालू के दोनो हाथो में अगूंठे थे ही नही। जिसका भी प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्यों से खण्डन नही किया जा सका है। जिससे भी उक्त तथाकथित बक्शीशनामे की वैद्यता प्रमाणित नही होती है साथ ही बक्शीशनामे के आधार पर खोले गये नामान्तकरण की पंजिका(पुश्त) पर सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीक नही है। जिससे उक्त तथाकथित बक्शीाशनामें के आधार पर किया गया अंकन अवैध प्रतीत होने से यह तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

तनकी सं0 2– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है चूंकि प्रतिवादीगण के साक्ष्य दस्तावेज (प्रदर्श D-2) नामान्तकरण सं0 1 दिनांक 09.07.61 की वैद्यता सिद्ध नही है जिससे की उक्त नामान्तकरण वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है तथा नामान्तकरण के आधार पर कोई अधिकार भी प्राप्त नही होते है। जिससे अवैध खातेदारी प्राप्त करने के पश्चात प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अन्य प्रतिवादीगण को किया गया विक्रय/हस्तान्तरण भी अवैध है जिसका कोई कानूनी रूप से महत्व नही है इसके साथ ही चूंकि केता प्रतिवादी सं0 5 द्वारा भूमि का क्रय दौराने वाद तथा निषेधाज्ञा आदेश की पूर्ण जानकारी के उपरान्त भी किया गया है जिससे केता सदभावी केता नही है जिससे उक्त विक्रयपत्र प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है।अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध तय की जाती है।

तनकी सं0 3– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है चूंकि तनकी सं0 1 व 2 वादीगण के पक्ष में सिद्ध हुई है जिससे यह तनकी भी स्वतः ही वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

तनकी सं0 4– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । वादीगण द्वारा तनकी सं0 1 लगायत 3 का विवेचन करने पर यह सिद्ध किया गया है कि प्रतिवादीगण सं0 1 के पिता के नाम उक्त भूमि का इन्द्राज एक अवैध प्रक्रिया तथा अवैध बक्शीशनामे के आधार पर हुआ है। जो कि प्रारम्भ से ही वादीगण के हितों के प्रति प्रभावशून्य है तथा साथ ही स्वयं प्रतिवादी सं0 1 के बयान में भी उक्त तथाकथित बक्शीशनामा के सन्दर्भ में इनकार करते हुए विरोधाभासी रूप से क्रय विक्रय के आधार पर नाम होना स्वीकार किया गया है। जिससे उक्त अंकन स्वतः ही अवैध सिद्ध होता है तथा उक्त अवैध अंकन के पश्चात किए गए हस्तान्तरण भी स्वतः ही अवैध व प्रभावशून्य है। जिनका कोई कानूनी महत्व नही है । जबकि स्वयं केता द्वारा भी प्रकरण की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी भूमि का क्रय किया गया है अतः सदभावी केता का सिदान्त लागू नहीं होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं0 5– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य गिरदावरी सम्वत 2008से 2033 व खतौनी बन्दोबस्त 2008–2023 व जमाबन्दी सम्वत 2016–19 से यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त स्वयं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि सन 1960 में वादीगण के पूर्वज द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के पूर्वज को किए गए विक्रय (तथाकथित) तक (सम्वत 2017 तक) वादीगण का कब्जाकाश्त व खातेदारी रही है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से सम्वत 2033 तक वादीगण का कब्जा सिद्ध स्पष्ट होता है। अतः यह तनकी भी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं0 6– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। चूंकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं स्वयं प्रतिवादी सं0 1 के कथनों एवं प्रतिवादीगण के विरोधाभासी तथ्यों के आधारो पर तनकी सं0 1 लगायत 5 का निस्तारण वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है तथा साक्ष्यों एवं बयानों व जिरह से वादीगण

Nidhi

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

का वादअधीन आराजी से सरोकार सिद्ध हो चुका है। तथा प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त तथाकथित क्रय के पश्चात होना बताया है बल्कि स्वयं प्रतिवादी द्वारा क्रय अथवा बक्शीश के सन्दर्भ में विरोधाभासी कथनकिये गये है। तथा अलग–अलग आधारों पर भूमि का मालिक होना बताया है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं0 7– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। चूकि स्वयं प्रतिवादी द्वारा अपने बयानो में स्वीकार किया गया है व प्रस्तुत दस्तावेज से भी प्रतिवादी की खातेदारी 1960 में किये गये उक्त तथाकथित बक्शीशनामें के आधार पर खातेदारी प्राप्त होना सिद्ध होता है। जो कि निंविवाद तथ्य है कब्जाकाश्त भिन्न विषय है अतः वर्तमान भू प्रबन्ध से पूर्व प्रतिवादी सं0 1 के पिता की खातेदारी के सन्दर्भ मात्र में यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निस्तारित की जाती है।

अनुतोष–

प्रतिवादीगण का कथन है कि काल्या पुत्र छोटू ने अपना हक व अधिकार अपनी रजामन्दी से प्रतिवादी सं0 1 के पिता प्रताप पुत्र मांगू के हक में बक्शीश कर दिया था। साथ ही प्रतिवादी का ये भी कथन रहा है कि भूमि वादग्रस्त काल्या पुत्र छोटू की स्वअर्जित भूमि थी तथा काल्या पुत्र छोटू ने दिनांक 09.07.61 को उक्त भूमि बक्शीश कर दी है जबकि ऐसा कोई बक्शीशनामा पेश नही किया गया है तथा स्वयं प्रतिवादी सं0 1 ने अपने बयान की जिरह में बक्शीश होने के तथ्य से इनकार किया है तथा स्वीकार किया है कि उक्त भूमि उसे बक्शीश में नही मिली है बल्कि प्रतिवादी ने उक्त भूमि को चांदी के 200 रूपयों में खरीद करना बताया है। जबकि उक्त खरीद के सन्दर्भ में भी कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के स्वयं के कथन अपने बयान व लिखित बहस के रूप में विरोधाभासी अंकित किये गये है तथा उक्त बक्शीशनामे अथवा क्रय के सन्दर्भ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है। इसके अतिरिक्त वादीगण व वादीगण के गवाहो ने अपने बयानों में कथन किया है कि बक्शीशकर्ता काल्या उर्फ कालू के दोनो हाथों में अगूंठे नही थे। जिससे तथाकथित बक्शीशनामें के नामान्तकरण पर अगूंठा निशानी होने का तथ्य गलत अंकित किया गया है। जिसका भी प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्यों से खण्डन नही किया जा सका है। जिससे उक्त तथाकथित बक्शीशानामें की वैद्यता प्रमाणित नही होती है साथ ही तथाकथित नामान्तकरण पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर भी उक्त नामान्तकरण को तस्दीककर्ता के रूप में नही है। जिससे उक्त तथाकथित बक्शीशनामे के आधार पर किया गया अंकन अवैध प्रतीत होता है उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अनुसार स्थावर सम्पति का दान चाहे वह 1 रूपये का हो या अधिक का, लिखित और रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा ही किया जाता है जबकि प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे बक्शीश का तथ्य सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त कयशुदा होने के सन्दर्भ में भी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 एवं सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अन्तर्गत 100 रूपयें या उससे अधिक राशि में क्रय की गई स्थावार सम्पति का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है अन्यथा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 के अनुसार गैर पंजीकृत दस्तावेज से कोई भी अधिकार उत्पन्न नही होता है। इस क्रम में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविकता में तथा प्रावधानों के अनुसार बक्शीशनामा पंजीकृत होने के पश्चात उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जबकि उक्त नामान्तकरण पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर भी नही है तथा स्वयं प्रतिवादी ने भी अपने बयानों में बक्शीश होने से इनकार किया है तथा भूमि के क्रय करने के सन्दर्भ में भी कोई मान्य पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार भूमि हस्तान्तरण के सन्दर्भ में किसी प्रकार का कोई मान्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है तथा खातेदारी अंकन के सन्दर्भ में तथ्यों का विरोधाभास स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में वादीगण का भूमि वादग्रस्त पर कब्जाकाश्त पूर्वजों के काल से ही सिद्ध होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2023 से वादीगण के पिता व दादा का भूमि वादग्रस्त पर सिद्ध होता है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2008–2033 से भी वादीगण के पूर्वजों का कब्जाकाश्त सिद्ध होता है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया गया है कि भूमि वादग्रस्त से वादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है। जो कि उक्त प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर विरोधाभासी तथ्य है साथ ही धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अनुसार घोषणा समय बाधित नही होता है। इसके साथ ही यहां तक प्रश्न अन्य केतागणों के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि क्रय किये जाने का है तो उक्त सन्दर्भ में अवैध अंकन के आधार पर प्राप्त की गई खातेदारी के पश्चात किये गये हस्तान्तरण/विक्रय स्वतः ही अवैध प्रभावशून्य है जिनका कोई कानूनी महत्व नही है। जबकि स्वयं केता द्वारा प्रकरण की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी भूमि का क्रय किया गया है जिससे सदभावी केता का सिद्धान्त लागू नही होता है। उक्त क्रय एवं विक्रय वाद के लम्बित रहते व अवैध खातेदारी के आधार पर किये गये है जो प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रतिवाद प्रस्तुत कर तथ्यों का खण्डन नही किया गया है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त की गई खातेदारी अंकन अवैध एवं तथाकथित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की गई सिद्ध होती है। जिसके

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर जु., जयपुर

आधार पर पश्चातवृति हस्तान्तरण स्वतः ही अवैध एवं प्रभावशून्य है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों व गवाहो के बयानात को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी ख0 नं0 558, 559, 673 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण के अंकन को निरस्त करते हुए आदेशानुसार नवीन अंकन वादीगण के नाम करने के आदेश दिए जाते है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक व कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करें।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर